(भारत के राजपत्र के भाग-1, खण्ड-1 में हिंदी और अंग्रेजी में साथ-साथ प्रकाशन के लिए) भारत सरकार गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग

एन.डी.सी.सी.-II बिल्डिंग, 'बी' विंग, चौथा तल, जय सिंह रोड, नई दिल्ली,

दिनांक: 5 दिसम्बर, 2017

<u>संकल्प</u>

20012/02/2017-रा.आ.(नीति)-पार्ट-1 - राजभाषा अधिनियम , 1963 की धारा 4(1) के अंतर्गत संसदीय राजभाषा समिति का गठन 1976 में किया गया था। समिति द्वारा राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा3(3), राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5, हिंदी में पत्राचार, प्रकाशन, कोड-मैनुअल एवं प्रशिक्षण इत्यादि से संबन्धित राष्ट्रपित के आदेशों के अनुपालन की स्थिति का मंत्रालयवार/क्षेत्रवार मूल्यांकन, केंद्र सरकार के कार्यालयों में पुस्तकों की खरीद , कम्प्यूटरीकरण और हिंदी, भर्ती नियमों में हिंदी ज्ञान की अनिवार्यता , शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थानों में हिंदी माध्यम की उपलब्धता, हिंदी विज्ञापनों पर व्यय तथा सार्वजनिक उपक्रमों के व्यावसायिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग आदि से संबंधित प्रतिवेदन राष्ट्रपित जी को समय समय पर प्रस्तुत की गई। वर्ष 1988 में संसदीय राजभाषा समिति के प्रथम खंड पर राष्ट्रपित जी के आदेश पारित हुए और वर्ष 2017 में नौवें खंड पर राष्ट्रपित जी के आदेश संकल्प के रूप में जारी किए गए। संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन (खंड -9) की सिफ़ारिश सं 2 पर राष्ट्रपित जी के आदेशानुसार संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के पिछले आठ खंडों में अस्वीकृत संस्तुतियों अथवा संशोधन के साथ स्वीकृत संस्तुतियों की समीक्षा राजभाषा विभाग द्वारा की गई है। तदनुसार अधोहस्ताक्षरी को निम्नलिखित आदेश सूचित करने का निदेश हुआ है:

दूसरा खंड (पूर्व आदेश दिनांक 29.03.1990 को संकल्प सं 12015/34/87-राभा(त.क.) द्वारा जारी)

क्र	खंड सं/	सिफ़ारिश	राष्ट्रपति जी के पूर्व आदेश	राष्ट्रपति जी के
सं	सिफ़ारिश			परिशोधित
	सं॰			आदेश
1	2/3 'ख'	जिन कर्मचारियों को अभी तक	सिफ़ारिश के इस भाग को	इस सिफ़ारिश
		हिंदी टंकण अथवा हिंदी	इस संशोधन के साथ स्वीकार	पर पारित
		आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त	किया गया है कि समयबद्ध	राष्ट्रपति जी के
		नहीं है , उन्हे एक समयबद्ध	योजना के अनुसार 1994-95	आदेश यथावत

		योजना के अनुसार 1990 के अंत तक इसमें प्रशिक्षित कराया जाए, ताकि आवश्यकतानुसार वे हिंदी में टंकण तथा आशुलिपि का कार्य कर सकें।	के अंत तक हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के प्रशिक्षण के लिए वर्तमान में शेष रहे लगभग सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाए। इसके लिए प्रत्येक वर्ष राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित वार्षिक कार्यक्रम में हिंदी आश्लिपिकों तथा देवनागरी	* I
			टंककों के लक्ष्यों में प्रायः 20 प्रतिशत वृद्धि की जानी अपेक्षित होगी।	
2	2/7 (क)	'क' तथा 'ख' क्षेत्रों के कार्यालयों में जहां केवल रोमन टेलीप्रिंटर लगे हुए हैं वहां उनके साथ-साथ देवनागरी टेलीप्रिंटर जून , 1988 तक लगाए जाने चाहिए।	यह सिफारिश संशोधन के साथ स्वीकार की गई है। चूंकि अब द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टैलेक्स मशीन का विकास हो चुका है और इन मशीनों का व्यावसायिक उत्पादन भी हो रहा है, उचित यही होगा कि रोमन टेलीप्रिंटरों को द्विभाषी टैलैक्स मशीनों से बदल दिया जाए।	यह सिफ़ारिश वर्तमान में अप्रासंगिक है। अतः स्वीकार नहीं की जाती है।
3	2/7(ख)	देवनागरी तथा रोमन के द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर और टैलैक्स के विकास में भी तेजी लाई जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि इसके विकास में तनिक भी विलम्ब नहीं किया जाए और उनके परीक्षण सफल होने के बाद वर्तमान रोमन इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटरों की बजाए द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर स्थापित किए जाएं। यह कार्य वर्ष 1988	यह सिफारिश भी संशोधन के साथ स्वीकार की गई है। द्विभाषी इलैक्ट्रोनिक टेलीप्रिंटर और टैलेक्स के विकास का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है और वर्तमान रोमन इलैक्ट्रोनिक टेलीप्रिंटरों की बजाय द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टैलेक्स मशीनें वर्ष 1988 के अंत तक लगाने की समय-सीमा भी पहले ही समाप्त हो चुकी है।	यह सिफ़ारिश वर्तमान में अप्रासंगिक है। अतः स्वीकार नहीं की जाती है।

		के अंत तक पूरा हो जाना	इसलिए दूरसंचार विभाग	
		चाहिए।	अंग्रेजी -देवनागरी द्विभाषी	
			टैलेक्स मशीनों की उत्पादन	
			क्षमता में वृद्धि करे और यह	
			स्निश्चित करें कि सभी	
			सरकारी कार्यालयों में अगले	
			लगभग तीन वर्षों में , अर्थात	
			30-9-1993 सभी टेलीप्रिंटर/	
			टैलेक्स द्विभाषी हों। इसके	
			लिए दूरसंचार विभाग एक	
			समयबद्ध योजना बनाए ,	
			ताकि जहां तक एक ओर शीघ्रातिशीघ्र द्विभाषी टैलेक्स	
			मशीनें कार्यालयों में उपलब्ध	
			हों वहीं दूसरी ओर उन पर	
			मुख्यतया देवनागरी में ही काम किया जाए।	
4	2/20			777 TV TO
4	2/20	कम्प्यूटर, शब्द -संसाधक आदि	समिति की सिफारिश इस	यह सिफ़ारिश
	(ख)	की खरीद के लिए जांच बिंदु	संशोधन के साथ मान ली	स्वीकार नहीं
		इलैक्ट्रानिकी विभाग को बनाया	गई है कि कम्प्यूटर तथा	की जाती है।
		जाए।	शब्द संसाधक आदि की	
			खरीद के लिए जांच बिंदु	
			प्रत्येक विभाग का प्रशासन	
			प्रभाग तथा इसमें किसी	
			प्रकार की छूट देने के लिए	
			जांच बिंदु राजभाषा विभाग	
_	0/05	-00 7 - 0-0 0 4	रहेगा।	_ ~~-
5	2/25	समिति ने यह सिफ़ारिश की है	समिति की सिफारिश इस	यह सिफ़ारिश
		कि चूंकि तार भी पत्राचार का ही	संशोधन के साथ मान ली	वर्तमान में
		रूप है इसलिए राजभाषा नियमों	गई है कि जहां जहां	अप्रासंगिक है।
		में किए गए प्रावधान के अनुसार	देवनागरी में तार भेजने की	अतः स्वीकार
		'क' तथा 'ख' क्षेत्रों में स्थित	सुविधा उपलब्ध है , वहाँ	नहीं की जाती
		केंद्रीय सरकार के कार्यालयों तथा	स्थित कार्यालयों में सभी तार	है।
		राज्य सरकारों और उनके	राजभाषा विभाग द्वारा	
		कार्यालयों तथा अन्य व्यक्तियों	प्रत्येक वर्ष पत्राचार के लिए	

	आदि को तथा 'ग' क्षेत्र में स्थित	निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप	
	अधिसूचित कार्यालयों को सभी	हिंदी में ही भिजवाए जाए।	
	सरकारी तार केवल देवनागरी में		
	ही भेजे जाएँ।		

चौथा खंड (पूर्व आदेश दिनांक 28.01.1992 को संकल्प सं 12019/10/91-राभा(भा) द्वारा जारी)

क्र	खंड सं/	सिफ़ारिश	राष्ट्रपति जी के पूर्व आदेश	राष्ट्रपति जी के
सं	सिफ़ारिश			परिशोधित
	सं॰			आदेश
6	4/2 'ग'	समिति ने सिफ़ारिश की है कि	समिति की यह सिफ़ारिश इस	यह सिफ़ारिश
		प्रत्येक मंत्रालय/विभाग वर्ष में	संशोधन के साथ मान ली गई	इस संशोधन के
		एक बार अखिल भारतीय	है कि वित्त मंत्रालय द्वारा	साथ स्वीकार
		राजभाषा सम्मेलन आयोजित	इस संबंध में वर्तमान में	की जाती है कि
		करें।	लगाए गए प्रतिबंध को हटाने	प्रत्ये क मंत्रालय/
			के बाद ही ऐसे सम्मेलन	विभाग वर्ष में
			आयोजित किए जाएँ। इस	एक बार अखिल
			संबंध में राजभाषा विभाग	भारतीय
			यथासमय निर्देश जारी करे।	आंतरिक
				राजभाषा
				सम्मेषलन वित्तर
				मंत्रालय के
				अद्यतन दिशा
				निर्देशों के
				अनुसार करने
				पर विचार करें।
7	4/6(ख)	''क'' क्षेत्र में धारा 3 (3) के	राजभाषा अधिनियम , 1963	यह सिफ़ारिश
		दस्तावेज केवल हिंदी में जारी	की धारा 3(5) में किए गए	स्वीकार नहीं
		करना	प्रावधानों के अनुसार जब तक	की जाती है।

		-00 10-0	<u> </u>	
		समिति ने सिफारिश की है कि	ऐसे सभी राज्यों के विधान	
		"क" क्षेत्र में राजभाषा अधिनियम	मण्डलों द्वारा, जिन्होंने हिंदी	
		की धारा3(3) के दस्तावेज (संसद	को अपनी राजभाषा के रूप	
		के समक्ष रखे जाने वाले	में नहीं अपनाया है , संकल्प	
		कागजात को छोड़कर) केवल	पारित नहीं कर दिए जाते	
		हिंदी में जारी किए जाए।	और जब तक पूर्ववर्ती	
			संकल्पों पर विचार करने के	
			बाद ऐसी समाप्ति के लिए	
			संसद के हर एक सदन द्वारा	
			संकल्प पारित नहीं कर दिया	
			जाता, तब तक धारा3(3) की	
			स्थिति यथावत् बनी रहेगी।	
			अत: वर्तमान में समिति की	
			उक्त सिफारिश स्वीकार	
			करना संभव नहीं है।	
8	4/8'ख'	समिति ने सिफ़ारिश की है कि	ऐसा करना व्यावहारिक नहीं	इस सिफ़ारिश
		प्रत्येक कार्यालय में गठित	है, इसलिए सिफ़ारिश स्वीकार	पर पारित
		राजभाषा कार्यान्वयन समिति की	नहीं की गई। तथापि, समिति	
		वर्ष में कम से कम 6 बैठकें	की उक्त सिफ़ारिश के	्र आदेश यथावत
		ब्लाई जाएँ।	 परिप्रेक्ष्य में राजभाषा विभाग ,	
		3 '	सभी मंत्रालयों/विभागों आदि	
			से अन्रोध करे कि वे तथा	
			्र उनके नियंत्रणाधीन कार्यालयों	
			में वर्ष में 4 बैठकों (प्रत्येक	
			तिमाही में एक) का कारगर	
			ढंग से आयोजन करने की	
			अनिवार्यता को स्निश्चित करें	
			तथा इन बैठकों में राजभाषा	
			्र हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी	
			वार्षिक कार्यक्रम के	
			कार्यान्वयन की प्रगति पर	
			म्ख्य रूप से विचार-विमर्श/	
			समीक्षा भी स्निश्चित करे।	
9	4/8'ग'	समिति ने सिफ़ारिश की है कि	समिति की यह सिफ़ारिश इस	इस सिफ़ारिश
	7/0 1	प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के लिए	संशोधन के साथ मान ली	पर सातवें खंड
		तर्भनः राजाराभाषणारा भः ।रार	रातालग न साल गाण ला	11 (11(14 (35

		0:0		
		अलग-अलग हिंदी सलाहकार	गई है कि जो बहुत छोटे-छोटे	की सिफ़ारिश सं
		समिति का गठन किया जाए।	मंत्रालय/विभाग हैं , उनमें	16.5(च) पर
		उसका समय-समय पर पुनर्गठन	संयुक्त रूप से हिंदी	पारित राष्ट्रपति
		किया जाए, वर्ष में कम से कम	सलाहकार समिति गठित की	जी के आदेश
		चार बैठकें आयोजित की जाएँ	जाए। शेष मंत्रालयों/विभागों	यथावत हैं।
		तथा समितियों की सिफ़ारिशों पर	की अलग-अलग हिंदी	
		ठोस रूप से यथासमय अनुवर्ती	सलाहकार समितियां गठित	
		कार्रवाई की जाए।	की जाएं। राजभाषा विभाग	
			इस परिप्रेक्ष्य में पुनः समीक्षा	
			करके नीति निर्धारित करें।	
10	4/9'क'	समिति ने सिफ़ारिश की है कि	यह सिफारिश इस संशोधन	इस सिफ़ारिश
		भारत सरकार के प्रत्येक	के साथ मान ली गई है कि	पर पारित
		कार्यालय द्वारा बुलाई गई	केवल 'क' क्षेत्र में परिचालित	राष्ट्रपति जी के
		बैठकों, सम्मेलनों, संगोष्ठियों की	होने वाली कार्यसूची/ कार्यवृत्त	आदेश यथावत
		कार्यसूची तथा कार्यवृत्त आदि	आदि एवं संबंधित पत्राचार	हैं।
		एवं अन्य पत्राचार में हिंदी और	केवल हिंदी में परिचालित	
		अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग	किए जा सकते हैं। इस संबंध	
		अनिवार्य रूप से किया जाए।	में राजभाषा विभाग आवश्यक	
			निदेश जारी करे।	
11	4/10	समिति ने यह भी सिफारिश की	तार देवनागरी में भेजने के	यह सिफ़ारिश
		है कि केंद्रीय सरकार के	संबंध में समिति की	वर्तमान में
		कार्यालयों द्वारा 'क' तथा 'ख'	सिफारिश आंशिक संशोधन के	अप्रासंगिक है।
		क्षेत्र को भेजे जाने वाले तार	साथ मान ली गयी है।	अतः स्वीकार
		देवनागरी में भेजे जाएं और 'ग'	उपलब्ध संसाधनों को देखते	नहीं की जाती
		क्षेत्र में भी हिंदी में तार भेजने	हुए राजभाषा विभाग वार्षिक	है।
		की शुरूआत की जाए।	कार्यक्रम में 'क'तथा 'ख'क्षेत्र	
			की तरह 'ग'क्षेत्र को भेजे	
			जाने वाले तारों का लक्ष्य	
			निर्धारित करे और सभी	
			मंत्रालयों/ विभागों आदि को	
			निदेश जारी करके उनका	
			अनुपालन सुनिश्चित कराये।	
12	4/16	समिति ने सिफारिश की है कि	समिति की यह सिफारिश	इस सिफ़ारिश
		सभी कार्यालयों में उपलब्ध	आंशिक संशोधन के साथ	पर पारित
		रजिस्टरों और सभी वर्गों के	स्वीकार कर ली गई है। 'क'	राष्ट्रपति जी के

अधिकारियों और कर्मचारियों की व 'ख' क्षेत्र में स्थित केंद्रीय आदेश यथावत सेवा-प्स्तिकाओं के शीर्षक सरकार के कार्यालयों में रखे हैं। द्विभाषी होने चाहिए और उनमें जाने वाले रजिस्टरों/ सेवा-प्रविष्टियां हिंदी में होनी चाहिए। प्स्तिकाओं में प्रविष्टयां हिंदी इनके अतिरिक्त सभी क्षेत्रों में में की जाएं तथा 'ग' क्षेत्र में अधिकारियों और कर्मचारियों की स्थित कार्यालयों में ऐसी वर्दियों पर लगाए जा रहे प्रविष्टियां यथा-सम्भव हिंदी बिल्ले/प्रतीक चिह्न आदि भी में की जाएं। इस संबंध में हिंदी में अवश्य होने चाहिए राजभाषा विभाग द्वारा पूर्व में जारी किए गए निदेश प्न: वर्दियों पर काढ़े जाने वाले नाम भी दोनों भाषाओं-हिंदी और सभी मंत्रालयों/ विभागों/ अंग्रेजी में होने चाहिए। इसके कार्यालयों आदि को अतिरिक्त 'क' और 'ख' क्षेत्र में परिचालित किए जाएं , ताकि भेजे जाने वाले लिफाफों पर पते समिति की इन सिफारिशों का अनिवार्य रूप से हिंदी में ही कार्यान्वयन स्निश्चित किया लिखे जाएं। जा सके। समिति ने अपने प्रतिवेदन के गृह मंत्रालय के महत्व इस सिफ़ारिश 4/19(ख) दूसरे और तीसरे खंड में की गई कार्य-क्षेत्र, एवं विभिन्न राज्य पर पारित अपनी इस सिफारिश को दोहराया सरकारों के साथ इसके राष्ट्रपति जी के है कि देश की एकता और आदेश यथावत सम्पर्क को देखते ह्ए राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय अखंडता के परिप्रेक्ष्य में राजभाषा हैं। के ही अंतर्गत रखा जाए। विभाग के दायित्व व महत्व को अत: समिति की उक्त देखते हुए भारत सरकार राजभाषा विभाग का प्नर्गठन सिफारिश स्वीकार नहीं की करे, उसे और अधिक सुदृढ़ गई है। तथापि , समिति की बनाए और उसे एक मंत्रालय का सिफारिशों के अन्सार राजभाषा विभाग को और दर्जा दे , जिससे भारत सरकार अधिक स्दढ़ और सक्षम की राजभाषा नीति को उसके सभी मंत्रालयों/ बनाया जाये। विभागों/ कार्यालयों/ उपक्रमों तथा स्वायत्त निकायों में प्रभावी और कारगर ढंग से कार्यान्वित किया जा

13

सके।

पांचवा खंड (पूर्व आदेश दिनांक 24.11.1998 को संकल्प सं ।/20012/4/92-राभा(नी-1) द्वारा)

क्र	खंड सं/	सिफ़ारिश	राष्ट्रपति जी के पूर्व आदेश	राष्ट्रपति जी के
सं	सिफ़ारिश			परिशोधित
	सं॰			आदेश
14	5/1	गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग	राजभाषा विभाग के वर्तमान	इस सिफ़ारिश
		का पुनर्गठन करके उसे पूर्ण	कार्य क्षेत्र के सापेक्ष इसके	पर पारित
		मंत्रालय का दर्जा देते हुए अधिक	लिए अलग से संपूर्ण मंत्रालय	राष्ट्रपति जी के
		सुदृढ़ और सक्षम बनाने के लिए	बनाना वर्तमान में	आदेश यथावत
		अविलम्ब कार्रवाई की जानी	व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता	हैं।
		चाहिए।	है।	
15	5/5	महामहिम राष्ट्रपति के आदेशों	राजभाषा विभाग ऐसे आदेश	इस सिफ़ारिश
		की अवहेलना करने वाले हिंदी में	जारी करे कि सभी	पर पारित
		प्रवीण अधिकारियों के विरुद्ध	मंत्रालय/विभाग अपने वरिष्ठ	राष्ट्रपति जी के
		कठोर कार्रवाई की जाए।	अधिकारियों, विशेष कर उप	आदेश यथावत
			सचिव एवं समकक्ष तथा	हैं।
			उससे वरिष्ठ अधिकारियों को	
			राजभाषा हिंदी में कार्य करने	
			के लिए विशेष तौर पर प्रेरित	
			एवं उत्साहित करे।	
16	5/16	उच्च न्यायालयों के निर्णय ,	इस सिफ़ारिश पर संविधान	इस सिफ़ारिश
		डिक्रियों व आदेशों में राज्य की	तथा राजभाषा अधिनियम	पर पारित
		राजभाषा अथवा हिंदी का प्रयोग	1963 के वर्तमान प्रावधानों	राष्ट्रपति जी के
		किया जाना चाहिए। किंतु यह	के अनुसार कार्रवाई करने की	आदेश यथावत
		व्यवस्था भी की जानी चाहिए कि	वर्तमान नीति पर्याप्त है।	हैं।
		प्रत्येक निर्णय का प्राधिकृत		
		अनुवाद दोनों भाषाओं में		
		उपलब्ध हो। जब तक अंग्रेजी का		
		प्रचलन बना रहता है। तब तक		
		इनका प्राधिकृत अनुवाद अंग्रेजी		
		में सुलभ कराने की व्यवस्था की		

		जा सकती है। तथापि उच्च		
		न्यायालयों की कार्यवाहियों राज्य		
		की राजभाषा में अथवा हिंदी में		
		या अंग्रेजी में की जा सकती है।		
17	5/17	अहिंदी भाषी राज्यों में भी	अहिंदी भाषी राज्यों में भी	इस सिफ़ारिश
		संबंधित राज्य की राजभाषा में	संबंधित राज्य की राजभाषा	पर पारित
		दिए गए निर्णयों का प्राधिकृत	में दिए गए निर्णयों का	राष्ट्रपति जी के
		हिंदी अनुवाद कराने के लिए संघ	प्राधिकृत पाठ हिंदी में	आदेश यथावत
		सरकार संबंधित राज्य सरकारों	उपलब्ध करवाने के लिए	हैं।
		को विशेष वित्तीय सहायता	राज्य सरकारें स्वयं अपने	
		प्रदान करें।	वित्तीय संसाधनों का	
			श्रेष्ठतम उपयोग कर इस	
			दिशा में कार्य करें।	

छठा खंड (पूर्व आदेश दिनांक 03.09.2004 को संकल्प सं 12021/02/2003-रा.भा.(का-2) द्वारा जारी)

क्र	खंड सं/	सिफ़ारिश	राष्ट्रपति जी के पूर्व आदेश	राष्ट्रपति जी के
सं	सिफ़ारिश		·	परिशोधित
	सं॰			आदेश
18	6/11.5.	शब्दकोश, शब्दावली, सहायक	समिति की यह सिफारिश इस	यह सिफ़ारिश
	10	तथा संदर्भ साहित्य और अन्य	संशोधन के साथ स्वीकार कर	इस संशोधन के
		हिंदी पुस्तकों की खरीद की तरफ	ली गई है कि पुस्तकालयों के	साथ स्वीकार
		विशेष ध्यान दिया जाए व इन	लिए उपलब्ध धनराशि में से	की जाती है कि
		पर लक्ष्य के अनुसार राशि खर्च	जर्नल व संदर्भ साहित्य की	इस सिफ़ारिश
		की जाए।	खरीद किए जाने के बाद बची	पर संसदीय
			राशि का 50 % हिंदी पुस्तकों	राजभाषा
			की ख़रीद पर खर्च किया	समिति के
			जाए। राजभाषा विभाग द्वारा	प्रतिवेदन के
			परिचालित हिंदी की स्तरीय	खंड - 9 की
			पुस्तकों की सूची में	सिफ़ारिश सं
			उल्लिखित सभी पुस्तकों को	52 पर पारित
			खरीदना आवश्यक है।	आदेशानुसार

			राजभाषा विभाग समय-समय	कार्रवाई की
			पर हिंदी की स्तरीय पुस्तकों	जाए।
			की एक सूची सभी	
			.` मंत्रालयों/विभागों को उपलब्ध	
			करवाएगा।	
19	6/11.5.	सभी भर्ती परिक्षाओं में अंग्रेजी	साक्षात्कार में हिंदी का	इस सिफ़ारिश
	13	के प्रश्नपत्र की अनिवार्यता	विकल्प देने के लिए पहले से	पर पारित
		समाप्त की जाए। सभी भर्ती	आदेश विद्यमान हैं। लेकिन	राष्ट्रपति जी के
		परीक्षाओं का माध्यम हिंदी हो।	अंग्रेजी के प्रश्न-पत्र की	आदेश यथावत
		जहां अपरिहार्य हो वहीं अभ्यर्थी	अनिवार्यता समाप्त करने	हैं।
		को उत्तर देने के लिए अंग्रेजी	तथा सभी भर्ती परीक्षाओं का	
		माध्यम का विकल्प दिया जाए।	माध्यम हिंदी करने संबंधी	
		साक्षात्कार के लिए भी यही	सिफारिश स्वीकार नहीं की	
		नियम लागू हो।	गई क्योंकि यह संसद के	
			दोनों सदनों द्वारा पारित	
			राजभाषा संकल्प: 1968 के	
			प्रतिकूल है।	
20	6/11.5.	कई नगरों में स्थित नगर	समिति की यह सिफारिश इस	यह सिफ़ारिश
	17	राजभाषा कार्यान्वयन समितियों	संशोधन के साथ स्वीकार कर	इस संशोधन के
		के सदस्यों की संख्या बहुत	ली गई है कि जिन समितियों	साथ स्वीकार
		अधिक है। अतः समिति का	की सदस्य संख्या 150 या	की है कि जिन
		सुझाव है कि इन्हें विभाजित कर	इससे अधिक हो , उन्हें दो	नगर राजभाषा
		इनके सदस्यों की अधिकतम	भागों में बांटा जाए। राजभाषा	कार्यान्वयन
		निर्धारित संख्या 40 रखी जाए	विभाग द्वारा इस आशय के	समितियों में
		और तदनुसार दो या इससे	निदेश जारी किए जाएं।	सदस्योंं की
		अधिक नगर राजभाषा		संख्यां 50 से
		कार्यान्वयन समितियां गठित की		अधिक है उन्हें
		जाएं।		दो भागों में
				विभाजित किया
				जाए ताकि
				अधिकतम
				निर्धारित संख्या
				50 से अधिक
				न हो।

21	6/11.6.4	कहीं से भी हिंदी में प्राप्त पत्रों के	समिति की यह सिफ़ारिश	यह सिफ़ारिश
		उत्तर हिंदी में दिए जाने की	स्वीकार नहीं की गई , क्योंकि	इस संशोधन के
		व्यवस्था की जाए।	संविधान के अनुच्छेद 346 में	साथ स्वीकार
			निहित प्रावधानों के अनुसार	की जाती है कि
			पत्रादि में राजभाषा का प्रयोग	सभी मंत्रालय/
			किया जाना है।	विभाग
				राजभाषा
				नियम, 1976
				के नियम 5 के
				अनुसार कार्रवाई
				करें।
22	6/11.6.8	राज्य स्तर पर सभी इलेक्ट्रानिक	समिति की यह सिफ़ारिश	इस सिफ़ारिश
		यंत्र/ संयंत्र/ कम्प्यूटर आदि	स्वीकार नहीं की गई।	पर पारित
		द्विभाषी रूप में या केवल हिंदी		राष्ट्रपति जी के
		में उपलब्ध कराये जाएं और		आदेश यथावत
		इनका भरपूर इस्तेमाल हिंदी		हैं।
		कार्य के लिए किया जाए।		
23	6/11.6.	केवल रोमन के टाइपराइटरों/	समिति की उक्त सिफ़ारिश	यह सिफ़ारिश
	9	इलेक्ट्रानिक यंत्रों आदि की खरीद	स्वीकार नहीं की गई।	वर्तमान में
		पर प्रतिबंध लगाया जाए।		अप्रासंगिक है।
				अतः स्वीकार
				नहीं की जाती
		, , ,		है।
24	6/11.6.	केंद्र सरकार के कार्यालयों आदि	समिति की उक्त सिफ़ारिश	यह सिफ़ारिश
	10	को टेलेक्स , टेलीप्रिंटर आदि पर	स्वीकार नहीं की गई।	वर्तमान में
		सूचनाएँ हिंदी में भिजवाने की		अप्रासंगिक है।
		व्यवस्था की जाए और		अतः स्वीकार
		अधिकाधिक तार/फ़ैक्स आदि भी		नहीं की जाती
		देवनागरी में ही भिजवाने की		है।
0.7	0/4.4.5	व्यवस्था की जाए।	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	
25	6/11.10	प्रवीणता प्राप्त व हिंदी का	ऐसा करना व्यावहारिक नहीं	इस सिफ़ारिश
	.3	कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले	है। अतः समिति की यह	पर पारित
		व्यक्तियों को कार्यशालाओं के	सिफ़ारिश स्वीकार नहीं की	राष्ट्रपति जी के
		माध्यम से हिंदी में काम करने	गई है।	आदेश यथावत
		का प्रशिक्षण देने के बाद उनसे		हैं।

		हिंदी में कार्य लिया जाए। वे		
		हिंदी में अपना काम शुरू करते		
		हैं तो उन्हे स्थायी रूप से		
		अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जानी		
		चाहिए।		
26	6/11.10	हिंदी में काम न करने पर जो	वर्तमान में दंड की कोई	इस सिफ़ारिश
20	.6	प्रविष्टि उनकी सेवा पंजिका में	व्यवस्था नहीं है। अतः	पर पारित
	.0	हो, उनकी गोपनीय वार्षिक रिपोर्ट		राष्ट्रपति जी के
		में भी उनके अधिकारी द्वारा यह	स्वीकार नहीं की गई।	आदेश यथावत
		लिखा जाए कि इन्होंने प्रशिक्षण		हैं।
		व योग्यता हिंदी में प्राप्त कर ली		
		है तथा इन्हें राजभाषा नियम		
		1976 के नियम 8 (4) के		
		अंतर्गत सरकारी कामकाज हिंदी		
		में करने के आदेश भी दे दिए		
		गए हैं फिर भी हिंदी में काम		
		नहीं कर रहे हैं। यह राजभाषा		
		नियमों की अवहेलना है। इस		
		बात का ध्यान संबंधित कर्मचारी		
		की अगली तरक्की के समय पर		
		विशेष रूप से रखा जाए।		
27	6/11.10	जिस कर्मचारी को भारत सरकार	वर्तमान में दंड की कोई	इस सिफ़ारिश
	.7	के मंत्रालय/ अधीनस्थ कार्यालय/	व्यवस्था नहीं है। अतः	पर पारित
		संबद्ध कार्यालय/ उपक्रम आदि ,	समिति की उक्त सिफ़ारिश	राष्ट्रपति जी के
		कार्यालय समय में प्रशिक्षण के	स्वीकार नहीं की गई।	आदेश यथावत
		लिए हिंदी , हिंदी टंकण/ हिंदी		हैं।
		आशुलिपि/ अनुवाद प्रशिक्षण/		
		कार्यशालाओं में प्रशिक्षण लेने के		
		लिए भेजते हैं, वह नियमित रूप		
		से प्रशिक्षण लें और प्रशिक्षण में		
		उत्तीर्ण करने के बाद उनके लिए		
		अपने सरकारी काम का 50		
		प्रतिशत कार्य हिंदी में करना		
		अनिवार्य हो। यदि वे ऐसा नहीं		
		करते हैं तो जितने दिन उन्होनें		
		İ	I	1

28	6/11.10	प्रशिक्षण लिया और उसके प्रशिक्षण पर आने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति उस कर्मचारी के वेतन से कटौती करके करनी चाहिए। जो व्यक्ति हिन्दी में अपना सारा कार्य करता है और वह किसी विभागीय परीक्षा में भाग लेता है तो उसके साक्षात्कार के समय उसको हिंदी में कार्य करने के लिए अतिरिक्त अंक दिये जाने चाहिए और उसे विभागीय	भारत एक बहुभाषी देश है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी सभी भाषा समूहों से आते हैं। अतएव ऐसा भेदभाव करना संभव नहीं है। समिति की यह सिफ़ारिश स्वीकार नहीं की गई।	इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
		प्रोन्नति समिति द्वारा भी विशेष वरीयता दी जानी चाहिए।		
29	6/11.10. 15	सरकारी कामकाज में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग संबंधी कार्य पर निगरानी का कार्य कम से कम संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को सौंपा जाए।	समिति की यह सिफ़ारिश स्वीकार नहीं की गई क्योंकि सभी कार्यालयों में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी नहीं होते हैं। अतः वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है।	इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
30	6/11.10	राजभाषा नियम , 1976 के नियम 8(4) को इस प्रकार संशोधित किया जाए जिसमें हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को अपना सारा काम हिंदी में करने के लिए आदेश दिये जा सकें तथा हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए काम की कुछ मदें निर्धारित कर दी जाएँ जिन्हें वे हिंदी में करें।	राजभाषा नियम , 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है। अतः समिति की यह सिफ़ारिश स्वीकार नहीं की गई है।	इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
31	6/11.10 .21	द्विभाषी इलेक्ट्रानिक यंत्रों पर किए जाने वाले कार्य में से हिंदी के कार्य की प्रतिशतता निर्धारित की जाए।	राजभाषा हिंदी में कार्य करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम में विभिन्न मदों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।	इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत

			चरचामा ही उचिशा की	हैं।
			तदनुसार ही द्विभाषी	ह।
			इलेक्ट्रानिक उपकरणों पर	
			हिंदी में कार्य किया जाना है।	
			इसके लिए अलग से प्रतिशत	
			निर्धारित करने की	
			आवश्यकता नहीं है।	
32	6/11.10	'क' और 'ख' क्षेत्र में स्थित	राजभाषा नियम , 1976 के	इस सिफ़ारिश
	.22	भारत सरकार के कार्यालयों में	नियम 11 के अंतर्गत	पर पारित
		केवल हिंदी में छपे या तैयार	वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है।	राष्ट्रपति जी के
		किए फॉर्मीं और मानक मसौदों	अतः समिति की उक्त	आदेश यथावत
		का उपयोग किया जाए।	सिफ़ारिश स्वीकार नहीं की	हैं।
			गई।	
33	6/11.10	'क' और 'ख' क्षेत्र में स्थित	राजभाषा नियम , 1976 के	इस सिफ़ारिश
	.23	भारत सरकार के कार्यालयों में	नियम 11 के अंतर्गत	पर पारित
		मोहरों, नामपट्ट , साइनबोर्ड ,	वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है।	राष्ट्रपति जी के
		सीलें, पत्रशीर्ष , वाहनों पर लिखे	अतः समिति की उक्त	आदेश यथावत
		जाने वाले कार्यालय के विवरण	सिफ़ारिश स्वीकार नहीं की	हैं।
		और विजिटिंग कार्ड केवल हिंदी	गई।	
		में तैयार किया जाएँ।	,	
34	6/11.10	राजभाषा अधिनियम 1963 की	राजभाषा अधिनियम की धारा	इस सिफ़ारिश
	.25	धारा (3) में संशोधन किए जाए	3(5) में निहित प्रावधानों के	पर पारित
		जिससे 'क' तथा 'ख' क्षेत्र में	परिप्रेक्ष्य में ऐसा किया जाना	राष्ट्रपति जी के
		स्थित कार्यालयों को उक्त धारा	संभव नहीं है। अतः समिति	आदेश यथावत
		के अंतर्गत जारी किए जाने वाले	की यह सिफ़ारिश स्वीकार	हैं।
		कागजात केवल हिंदी में जारी	नहीं की गई है।	
		किए जा सकें।		
35	6/11.10	हिंदी दिवस वर्ष में एक बार	ऐसा करना व्यावहारिक नहीं	इस सिफ़ारिश
	.32	मनाने के अलावा प्रत्येक	है। संघ का राजकीय कार्य	पर पारित
		कार्यालय द्वारा सप्ताह में कम	हिंदी में करने के लिए	राष्ट्रपति जी के
		से कम एक दिन हिंदी दिवस के	राजभाषा विभाग द्वारा जारी	आदेश यथावत
		रूप में मनाया जाए। उसस दिन	वार्षिक कार्यक्रम में लक्ष्य	हैं।
		 कार्यालय का सारा कार्य हिंदी में	निर्धारित किए जाते हैं।	
		ही किया जाए। किसी विशेष	अतएव यह सिफ़ारिश स्वीकार	
		मामले में यदि उस दिन कोई	नहीं की गई।	
		कार्य अंग्रेजी में करना अनिवार्य	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
		1 31 // 511 511 511 511 511 511 511 511 511		

	हो जाए तो उस पत्र/आदेश आदि
	पर संबन्धित अधिकारी द्वारा
	हस्ताक्षर हिंदी में ही किए जाएं।

सातवाँ खंड (पूर्व आदेश दिनांक 13.07.2005 को संकल्प सं 11011/5/2003-रा.भा.(अनु.) द्वारा जारी)

क्र	खंड सं/	सिफ़ारिश	राष्ट्रपति जी के पूर्व आदेश	राष्ट्रपति जी के
सं	सिफ़ारिश			परिशोधित
	सं॰			आदेश
36	7/16.5	केंद्रीय हिंदी समिति का पुनर्गठन	यह सिफ़ारिश इस संशोधन	इस सिफ़ारिश
	'क'	निश्चित समय पर प्रत्येक तीन	के साथ स्वीकार कर ली गई	पर पारित
		वर्ष पर अवश्य किया जाए।	है कि केंद्रीय हिंदी समिति का	राष्ट्रपति जी के
			कार्यकाल सामान्यत: 3 वर्ष	आदेश यथावत
			का होगा , किंतु विशेष	हैं।
			परिस्थितियों में इसका	
			कार्यकाल बढ़ाया अथवा कम	
			भी किया जा सकता है।	
37	7/16.5	केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन	केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन	इस सिफ़ारिश
	'ग'	समिति की बैठकों में भाग लेने	समिति केवल सरकारी	पर पारित
		के लिए संसदीय राजभाषा	अधिकारियों की समिति है।	राष्ट्रपति जी के
		समिति के उपाध्यक्ष तथा तीनों	अतः यह सिफ़ारिश स्वीकार्य	आदेश यथावत
		उपसमितियों के संयोजकों को	नहीं की गई।	हैं।
		विशेष रूप से आमंत्रित किया		
		जाए।		
38	7/16.5	हिंदी सलाहकार समितियों का	यह सिफ़ारिश इस संशोधन	इस सिफ़ारिश
	'च'	गठन/पुनर्गठन सही समय पर	के साथ स्वीकार कर ली गई	पर पारित
		होना चाहिए तथा बैठकें नियमित	है कि सभी मंत्रालय/विभाग	राष्ट्रपति जी के
		रूप से प्रत्येक तिमाही में	हिंदी सलाहकार समिति का	आदेश यथावत
		आयोजित की जानी चाहिए।	गठन/पुनर्गठन समय पर करे	हैं।
			और वार्षिक कार्यक्रम में	

			निक्षीन नक्ष्मों ने अनुसार	
			निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार	
			हिंदी सलाहकार समिति की	
	7/10 5		बैठकें करें।	
39	7/16.5	नगर राजभाषा कार्यान्वयन	यह सिफ़ारिश स्वीकार्य नहीं	इस सिफ़ारिश
	'ਠ'	समिति की वर्ष में तीन बैठकें	पाई गई। नगर राजभाषा	पर पारित
		समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता	कार्यान्वयन समिति की बैठकें	राष्ट्रपति जी के
		में अलग -अलग कार्यालयों में	अलग-अलग स्थानों पर	आदेश यथावत
		आयोजित की जाए तथा अंतिम	आयोजित करना , बैठक का	हैं।
		बैठक समिति के अध्यक्ष के	स्थान व अन्य संसाधनों की	
		कार्यालय में ही आयोजित की	उपलब्धता की दृष्टि से	
		जाएं और उसमें राजभाषा विभाग	व्यावहारिक नहीं है।	
		के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित		
		रहें, ताकि वर्ष भर की		
		गतिविधियों और प्रगति की		
		समीक्षा की जा सके और पाई		
		गई कमियों को सभी संबंधितों के		
		ध्यान में लाया जाए और		
		सामूहिक प्रयास से दूर कर लिया		
		जाए।		
40	7/16.5	विभिन्न नगर राजभाषा	संसदीय राजभाषा समिति के	यह सिफ़ारिश
	'ਤ'	कार्यान्वयन समिति की बड़ी	प्रतिवेदन के खंड-6 में की	इस संशोधन के
		सदस्य संख्या को देखते हुए ऐसे	गई सिफ़ारिश सं. 11.5.17	स्वीकार की
		नगरों में जहां एक ही नगर	पर आदेश दिया गया है कि	जाती है कि
		राजभाषा कार्यान्वयन समिति है ,	ऐसी नगर राजभाषा	नगर राजभाषा
		वहां नगर राजभाषा कार्यान्वयन	कार्यान्वयन समितियों को ,	कार्यान्वषयन
		समिति को तीन उप समितियों	जिनकी सदस्य संख्या 150	समितियों में
		में विभाजित कर तीन अलग-	या इससे अधिक है, दो भागों	सदस्योंं की
		अलग संयोजक बनाए जाएं एवं	में बांटा जाए , इस व्यवस्था	संख्यां
		उनका अध्यक्ष एक ही हो ताकि	में अभी परिवर्तन करना	अधिकतम 50
		सभी सदस्य कार्यालयों में हिंदी	सामयिक नहीं है।	रखी जाए और
		के अनुकूल वातावरण बने और		इससे अधिक
		राजभाषा नियमों के प्रति		होने पर
		जागरूकता आए।		व्या वहारिकता
				के आधार पर
				उन्हेंर विभाजित
		1		I

41	7/16.7 'ख'	गैर सरकारी प्रकाशकों को सरकारी प्रकाशनों के प्रकाशन की	यह सिफ़ारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की गई है	किया जाए। विभाजन की स्थिजित में हर नगर राजभाषा कार्यान्वषयन समिति के अध्यक्ष व सचिव अलग होंगे। इस सिफ़ारिश
		अनुमित देते समय यह पाबंदी अवश्य लगाई जाए कि वे केवल अंग्रेजी भाषा में उन्हें प्रकाशित न करें बिल्क इन प्रकाशनों को डिग्लाट में हिंदी-अंग्रेजी में अनिवार्य रूप से छापें।	कि जहां तक संभव हो सके सभी सरकारी प्रकाशनों को डिग्लॉट रूप में छपवाया जाए।	राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
42	7/16.7 'ਬ'	अवर सचिव व इसके ऊपर के स्तर के अधिकारियों की प्रबंधकीय दक्षता के उन्नयन हेतु आयोजित सेवाकालीन प्रशिक्षणों को हिंदी में आयोजित किया जाए।	यह सिफ़ारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है कि सभी सेवाकालीन प्रशिक्षणों के प्रमुखतः हिंदी भाषा के माध्यम से और गौणतः मिली-जुली भाषा के माध्यम से चलाया जाए।	इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
43	7/16.7 'স্ত'	अधिकारियों के लिए उनके द्वारा हिंदी में दिए जाने वाले डिक्टेशन व अन्य कार्यों के लिए राजभाषा विभाग वार्षिक कार्यक्रम में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें तथा उनका अभिलेख(लेखा-जोखा) रखना अनिवार्य किया जाए तथा मुख्यालय/मंत्रालय स्तर पर इसकी समीक्षा सुनिश्चित की जाए।	यह सिफ़ारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की गई है कि जिन अधिकारियों के पास हिंदी आशुलिपिकों की सुविधा उपलब्ध है वे उनकी सेवाओं का पूरा उपयोग करें। राजभाषा विभाग द्वारा वार्षिक कार्यक्रम में अधिकारियों द्वारा हिंदी में दिए जाने वाले डिक्टेशन के	यह सिफ़ारिश स्वीकार की जाती है।

			लिए लक्ष्य निर्धारित किया	
			जाए।	
44	7/16.8	राजभाषा हिंदी में प्रारूपण करने	यह सिफ़ारिश स्वीकार नहीं	इस सिफ़ारिश
	'ग'	वालों को विशेष प्रोत्साहन दिया	की गई है क्योंकि प्रारूपकार	पर पारित
		जाए।	नियमित सरकारी कर्मचारी	राष्ट्रपति जी के
			हैं।	आदेश यथावत
				हैं।
45	7/16.9	किसी गैर-सरकारी व्यक्ति को	यह सिफ़ारिश विचाराधीन है।	यह सिफ़ारिश
	(क)	भारत सरकार के हिंदी सलाहकार		स्वीकार नहीं
		के पद पर प्रतिष्ठित किया जाए		की जाती है।
		जो न केवल संसदीय राजभाषा		
		समिति में स्थायी रूप से		
		आमंत्रित रहेंगे , बल्कि केंद्रीय		
		हिंदी समिति के भी स्थायी		
		सदस्य रहेंगे। इसके लिए हिंदी		
		के किसी विद्यवान या हिंदी के		
		प्रचार-प्रसार से जुड़े व अनुभवी		
		व्यक्ति की सेवाएं लेना उचित		
		होगा।		
46	7/16.10	प्राइवेट प्रकाशकों को सरकारी	यह सिफ़ारिश इस संशोधन	इस सिफ़ारिश
	(1)	प्रकाशन छापने के पूर्व उन्हें	के साथ स्वीकार कर ली गई	पर पारित
		सरकार द्वारा प्रकाशन के	है कि जहां तक संभव हो	राष्ट्रपति जी के
		अधिकार (कापीराइट) की	सके सभी सरकारी प्रकाशनों	आदेश यथावत
		अनुमति प्राप्त करने का प्रावधान	को डिग्लॉट रूप में छपवाया	हैं।
		किया जाना चाहिए। यदि ऐसा	जाए।	
		प्रावधान पहले से विद्यमान है		
		तो सरकार अथवा इसके किसी		
		विभाग द्वारा कापीराइट		
		हस्तांतरित करने की अनुमति		
		देने के समय संबंधित सामग्री		
		को द्विभाषी मुद्रित कराने की		
		शर्त का प्रावधान किया जाना		
		चाहिए। यदि पुस्तक के आकार		
		के कारण डिग्लाट रूप में छापना		

		असुविधाजनक हो तो ऐसी		
		स्थिति में अंग्रेजी संस्करण के		
		आवरण पृष्ठ पर विशेष रूप से		
		यह उल्लेख किया जाए कि		
		प्रकाशक/वितरक के पास इस		
		संस्करण का हिंदी रूपांतरण भी		
		उपलब्ध है।		
47	7/16.12	विनिवेश के संदर्भ में समिति यह	इस सिफ़ारिश पर राजभाषा	यह सिफ़ारिश
	(क)	सिफारिश करती है कि जिस भी	विभाग संबंधित मंत्रालयों से	स्वीकार की
		उपक्रम में सरकारी भागीदारी हो ,	चर्चा करें।	जाती है।
		चाहे कम या ज्यादा , राजभाषा		
		नीति यथावत लागू रहेगी।		
48	7/16.12	बह्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ-साथ	राजभाषा विभाग इस विषय	यह सिफ़ारिश
	(ख)	स्वदेशी कंपनियों , जो अपने	में संबंधित पक्षों से चर्चा	इस संशोधन के
		उत्पाद की बिक्री अथवा उसके	करे।	साथ स्वीनकार
		प्रचार-प्रसार के लिए हिंदी का		की जाती है कि
		सहारा ले रही है, उनके लिए यह		प्रेरणा और
		बाध्य किया जाए कि वे सरकार		प्रोत्साहन के
		के साथ पत्राचार हिंदी में ही करें		माध्यम से
		साथ ही सरकार भी उनके साथ		कार्रवाई की
		प्रत्राचार हिंदी में ही करे।		जाए।

आंठवाँ खंड (पूर्व आदेश दिनांक 02.07.2008 को संकल्प सं 1/20012/07/2005-राभा(नीति-1) द्वारा जारी)

क्र	खंड सं/	सिफ़ारिश	राष्ट्रपति जी के पूर्व आदेश	राष्ट्रपति जी के
सं	सिफ़ारिश			परिशोधित
	सं॰			आदेश
49	8/1'ਬ'	हिंदी सलाहकार समिति की वर्ष	यह सिफारिश इस संशोधन	इस सिफ़ारिश
		में कम से कम तीन बैठकें	के साथ स्वीकार की जाती है	पर पारित
		आयोजित की जाएं।	कि सभी मंत्रालय/विभाग हिंदी	राष्ट्रपति जी के
			सलाहकार समिति की वर्ष में	आदेश यथावत
			कम से कम दो बैठकें तो	हैं।

			अवश्य आयोजित करें। इससे	
			अधिक बैठकों के आयोजन के	
			लिए भी सभी प्रयास करें।	
FO	0/7	'ग' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के	सिफारिश आंशिक संशोधन के	an funda
50	8/7			इस सिफ़ारिश
		लिए भी रजिस्टरों में प्रविष्टियों	साथ स्वीकार की जाती है कि	पर पारित
		का न्यूनतम प्रतिशत निर्धारित	'ग' क्षेत्र में स्थित सरकारी	राष्ट्रपति जी के
		किया जाए और रजिस्टरों में	कार्यालय इस दिशा में अपने	आदेश यथावत
		हिंदी में यथासंभव प्रविष्टियों	यथासंभव प्रयास जारी रखे।	हैं।
		जैसा प्रावधान समाप्त कर दिया		
		जाए।		
51	8/12	समिति ने चौथे खंड में सिफारिश	वर्तमान में इस सिफारिश के	इस सिफ़ारिश
		की थी कि 'क' क्षेत्र में केवल	संबंध में राजभाषा	पर पारित
		संसद के समक्ष रखे जाने वाले	अधिनियम, 1963 की धारा	राष्ट्रपति जी के
		कागजात को छोड़कर सभी	3(5) में किए गए प्रावधानों	आदेश यथावत
		कागजात केवल हिंदी में जारी	के अनुसार अनुपालन ही	हैं।
		किए जाएं। 'क' क्षेत्र में अद्यतन	जारी रहे।	
		स्थिति को देखते हुए समिति		
		पुन: यह सिफारिश करती है कि		
		उपर्युक्त कागजात के अतिरिक्त		
		राजभाषा अधिनियम, 1963 की		
		धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले		
		सभी कागजात के संबंध में		
		अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त		
		कर दी जाए। जिन राज्यों मे		
		अभी तक हिंदी को राजभाषा के		
		रूप में नहीं अपनाया है गृह		
		मंत्रालय द्वारा पहल करके उनसे		
		चर्चा की जाए कि वह अपने		
		राज्य की राजभाषा के साथ-साथ		
		हिंदी को भी राजभाषा का दर्जा		
		प्रदान करें।		
52	8/13	राजभाषा विभाग, नगर राजभाषा	यह सिफारिश इस संशोधन	इस सिफ़ारिश
02	<i>3/</i> 13	कार्यान्वयन समितियों के	के साथ स्वीकार की जाती है	पर पारित
		माध्यम से हिंदी/ भाषा/		राष्ट्रपति जी के
		आशुलिपि/ टंकण प्रशिक्षण का	कार्मिकों को राजभाषा विभाग	आदेश यथावत

		सघन अभियान चलाकर प्रशिक्षण	के अधीनस्थ कार्यालय, केंद्रीय	꽃1
		स्विधाओं को प्रत्येक कार्यालय	हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा	ا ر ا
		तक पहुँचाएँ।	प्रशिक्षण देने हेत् नगर	
		तिक वहुपार।	राजभाषा कार्यान्वयन	
			समितियां अपना यथासंभव	
50	0/47		सहयोग दें।	
53	8/17	नगर राजभाषा कार्यान्वयन	सिफारिश इस संशोधन के	इस सिफ़ारिश
		समितियों के प्रभावी संचालन हेतु	साथ स्वीकार की जाती है कि	पर पारित
		नराकास सचिवालय को स्थाई	वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत	राष्ट्रपति जी के
		तौर पर अतिरिक्त मानव	ही नगर राजभाषा कार्यान्वयन	आदेश यथावत
		संसाधन एवं अन्य आधुनिक	समितियां अपने सदस्य-	हैं।
		सुविधाओं से युक्त बनाया जाना	कार्यालयों के सहयोग से	
		चाहिए।	उनके पास उपलब्ध आंतरिक	
			संसाधनों से ही समितियों के	
			प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक	
			सुविधाएं जुटाएं।	
54	8/18	प्रत्येक क्षेत्र में राजभाषा	सिफारिश इस संशोधन के	इस सिफ़ारिश
		गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य	साथ स्वीकार की जाती है कि	पर पारित
		से हर वर्ष नराकास अध्यक्षों का	इस प्रकार की बैठकें वार्षिक	राष्ट्रपति जी के
		एक सम्मेलन आयोजित किया	आधार पर क्षेत्रीय स्तर पर	आदेश यथावत
		जाना चाहिए तथा राजभाषा नीति	आयोजित की जाएं।	हैं।
		व लक्ष्यों के निर्धारण के मामले		
		में इनकी भागीदारी सुनिश्चित		
		की जानी चाहिए।		
55	8/19	हिंदीतर भाषी क्षेत्रों विशेषकर	सिफ़ारिश स्वीकार नहीं की	इस सिफ़ारिश
		तमिलनाड्, केरल एवं कर्नाटक	जाती है।	पर पारित
		जैसे राज्यों में हिंदी समाचार-	·	राष्ट्रपति जी के
		पत्रों/पत्रिकाओं के प्रकाशन तथा		्र आदेश यथावत
		इनसे जुड़े हिंदी पत्रकारों के		हैं।
		प्रोत्साहन हेत् विशेष योजनाएं		-
		चलाई जाएं।		
56	8/20	नराकास की बैठकों में राजभाषा	सिफारिश इस संशोधन के	इस सिफ़ारिश
		विभाग, नई दिल्ली के वरिष्ठ	साथ स्वीकार की जाती है कि	पर पारित
		अधिकारी का प्रतिनिधित्व	नराकास की बैठकों में	राष्ट्रपति जी के
		अनिवार्य किया जाए।	राजभाषा विभाग के वरिष्ठ	आदेश यथावत
		जागवाच विश्वा जार।	राजामा विकास के वार्ड	जापरा अभापत

	0/04		अधिकारियों का प्रतिनिधित्व यथासंभव सुनिश्चित किया जाए।	* I
57	8/21	क्षेत्र 'ग' में स्थित प्रत्येक केंद्रीय	इस सिफ़ारिश के संबंध में	इस सिफ़ारिश
		कार्यालय में कम से कम एक	राजभाषा विभाग द्वारा	पर पारित
		हिंदी स्टाफ की तैनाती अनिवार्य	न्यूनतम स्टाफ की तैनाती	राष्ट्रपति जी के
		की जाए।	संबंधी दिशा-निर्देशों के	आदेश यथावत
		\	अनुसार कार्रवाई की जाए।	हैं।
58	8/28	राजभाषा से संबन्धित नियमों	सिफ़ारिश विचाराधीन है।	वर्तमान में
		इत्यादि के कार्यान्वयन को उचित		सचिव राजभाषा
		गंभीरता से लेने के उद्देश्य से		की अध्यक्षता में
		केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन		बैठकें होती है
		समिति की बैठक मंत्रिमंडल		जिसमें परिवर्तन
		सचिव की अध्यक्षता में कारवाई		की आवश्यकता
		जाए और सभी विभागों के		नहीं है। अतः
		सचिव इस समिति के सदस्य		यह सिफ़ारिश
		हों।		अस्वीकार की
				जाती है।
59	8/29	तकनीकी, वैज्ञानिक, शोध व	सिफारिश इस संशोधन के	इस सिफ़ारिश
		अनुसंधान से जुड़े विभिन्न	साथ स्वीकार की जाती है कि	पर पारित
		विषयों से संबंधित हिंदी साहित्य	सभी मंत्रालय/विभाग अपने	राष्ट्रपति जी के
		को एक जगह उपलब्ध कराने के	कार्य से संबंधित तकनीकी ,	आदेश यथावत
		लिए सरकार शीघ्र ही वैज्ञानिक	वैज्ञानिक शोध, अनुसंधान से	हैं।
		एवं तकनीकी हिंदी पुस्तक -बैंकों	जुड़े विभिन्न विषयों पर	
		की स्थापना करे जो ऐसी	पर्याप्त हिंदी साहित्य की	
		पुस्तकों/साहित्य को प्रयोक्ताओं	उपलब्धता सुनिश्चित करें एवं	
		एवं उपभोक्ता संस्थानों को	उनके प्राप्ति स्रोतों की	
		उपलब्ध कराएं अथवा उन्हें	जानकारी अपनी वेबसाइट के	
		प्राप्ति स्रोतों की जानकारी दें।	साथ-साथ अन्य संभव साधनों	
			द्वारा प्रयोक्ताओं एवं	
			उपभोक्ताओं को दें।	
60	8/34	वार्षिक कार्यक्रम 2004-05 में	वर्तमान में यथास्थिति बनाए	इस सिफ़ारिश
		तथा उसके पश्चात् राजभाषा	रखी जाए।	पर पारित
		विभाग ने पुस्तकों की खरीद के		राष्ट्रपति जी के
		संबंध में पूर्व निर्धारित लक्ष्य में		आदेश यथावत

		संशोधन कर इसमें जर्नल्स एवं मानक संदर्भ पुस्तकों की खरीद पर व्यय को शामिल नहीं किया है। समिति इस संशोधन पर पुनर्विचार की आवश्यकता महसूस करती है , कयोंकि यदि यह छूट अनिश्चित समय के लिए लागू रही तो इसका हिंदी के दूरगामी उद्देश्य पर विपरीत असर पड़ेगा।		हैं।
61	8/36	उप सचिव या उन उच्चाधिकारियों के लिए जिन्हें कम्प्यूटर उपलब्ध करवाया गया है, कम्प्यूटरों पर हिंदी के उपयोग का कम से कम एक सप्ताह का क्रैश पाठ्यक्रम आयोजित किया जाए और 'क', 'ख' तथा 'ग' क्षेत्रों के आधार पर उनके लिए देवनागरी में कम्प्यूटर पर कार्य का लक्ष्य भी निर्धारित किया जाए।		इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
62	8/46	केंद्रीय सरकार की भर्ती हेतु आयोजित स्पर्धात्मक परीक्षाओं में कम से कम मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का हिंदी का एक अनिवार्य प्रश्न पत्र तैयार किया जाए, जिसमें उत्तीर्ण हुए बिना अभ्यर्थी को असफल माना जाए।	सिफ़ारिश स्वीकार नहीं की गई है।	इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
63	8/47	केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के तहत बड़े-बड़े मंत्रालयों/विभागों में निदेशक (राजभाषा) के पद यथावत बने रहें और संयुक्त सचिव (राजभाषा) के पद सृजित करने पर भी विचार किया जाए।	सिफ़ारिश स्वीकार नहीं की गई है।	इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।

64	8/48	प्रत्येक मंत्रालय/ विभाग अपने अधीनस्थ/संबद्ध/ उपक्रमों/प्रतिष्ठानों/ संगठनों में एक राजभाषा संवर्ग स्थापित कर अपने राजभाषा कैडर से देश भर में स्थापित अपने सभी बड़े कार्यालयों में राजभाषा अधिकारी/ कर्मचारी को तैनात कर सकते हैं। इससे उन्हें पदोन्नति के अवसर भी मिलेंगे।		इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
65	8/49	सित्र नियुक्ति पर उसे विशेष भत्ते के रूप में प्रोत्साहन राशि दी जानी चाहिए और साथ ही ऐसी तैनाती एक सीमित अवधि के लिए होनी चाहिए जिससे कि क्षेत्र 'क' के अभ्यर्थी बेझिझक क्षेत्र 'ग' में तैनाती स्वीकार कर लें।	सिफ़ारिश स्वीकार नहीं की गई है।	इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
66	8/56	रेडियो/ टेलीविजन जैसे इलैक्ट्रानिक संचार माध्यमों के जरिए होने वाले शैक्षणिक प्रसारण केवल हिंदी में सुनिश्चित किए जाएं क्योंकि इनकी पहुंच दूर-दराज के क्षेत्रों तक रहती है।	देश में भाषायी विविधता को देखते हुए सिफ़ारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि रेडियो/दूरदर्शन के जरिए भारत सरकार द्वारा प्रयोजित शैक्षणिक प्रसारणों में हिंदी माध्यम के प्रसारणों को समुचित/पर्याप्त समयाविध प्रदान की जाए।	इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
67	8/58	केंद्र सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों और अन्य संस्थानों के विभागीय कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थानों में अत्यंत तकनीकी विषयों को छोड़कर सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हिंदी माध्यम से पढ़ाये जाने कि व्यवस्था की जाए।	सिफ़ारिश एक संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि सभी सेवकालीन प्रशिक्षणों को प्रमुखतः हिंदी भाषा के माध्यम से और गौणतः मिली-जुली भाषा के माध्यम से चलाया जाए।	इस सिफ़ारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।

68	8/69	अंग्रेजी के अखबार में भी हिंदी	सिफ़ारिश स्वीकार नहीं की	इस सिफ़ारिश
		के विज्ञापन दिए जा सकते हैं	गई है।	पर पारित
		और हिंदी के अखबार में अंग्रेजी		राष्ट्रपति जी के
		के विज्ञापन दिए जा सकते हैं।		आदेश यथावत
		अतः सभी कार्यालय विज्ञापनों		हैं।
		को द्विभाषी रूप में दें।		
69	8/70	विज्ञापन की कुल राशि का	यह सिफारिश इस संशोधन	इस सिफ़ारिश
		न्यूनतम 50 % हिंदी पर खर्च	के साथ मान ली जाए कि	पर नौवें खंड
		किया जाए और 50 % अंग्रेजी	सरकारी विज्ञापन की कुल	की सिफ़ारिश सं
		एवं प्रांतीय भाषाओं पर जाए।	राशि का एक निश्चित	48 एवं 88 के
			प्रतिशत केंद्रीय मंत्रालय/	संदर्भ में जारी
			विभाग अपनी	आदेश यथावत
			आवश्यकतानुसार हिंदी तथा	रहेंगे।
			अंग्रेजी में दिए जाने वाले	
			विज्ञापनों के संबंध में	
			निर्धारित करें।	
70	8/74	वर्ष 2008 से केंद्रीय सरकारी	सिफ़ारिश स्वीकार नहीं की	इस सिफ़ारिश
		सेवा में आने से पहले ही 'क',	गई है।	पर पारित
		'ख', 'ग' तथा 'घ' सभी वर्गों में		राष्ट्रपति जी के
		होने वाली सीधी भर्ती के दौरान		आदेश यथावत
		ही हिंदी संबंधी ज्ञान की न्यूनतम		हैं।
		योग्यता निर्धारित की जाए ताकि		
		बाद में प्रशिक्षण संबंधी तमाम		
		परेशानियों एवं बाध्यताओं से		
		बचा जा सके। हिंदी संबंधी		
		न्यूनतम योग्यता भी 'क', 'ख'		
		्र तथा 'ग' वर्ग के मामले में कम-		
		 से-कम दसवीं कक्षा अथवा उससे		
		अधिक हो सकती है। वर्ग 'घ' के		
		लिए यह योग्यता मिडिल/आठवीं		
		कक्षा तक शिथिल की जा सकती		
		है।		
71	8/75	कर्मचारियों के हिंदी का ज्ञान एवं	सिफ़ारिश स्वीकार नहीं की	इस सिफ़ारिश
	-	उनके द्वारा किए गए हिंदी कार्य		पर पारित
		का ब्योरा क्रमशः सेवा पंजिका		राष्ट्रपति जी के
		11 (11 11 11 11 11 11 11 11		×,

	तथा गोपनीय रिपोर्ट में अंकित	आदेश यथावत
	किया जाए। साथ ही, हिंदी संवर्ग	हैं।
1	को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के	
	संवर्गों से संबन्धित पदोन्नतियों	
	के लिए गठित विभागीय	
	पदोन्नति समितियां, पदोन्नति	
	के विचारार्थ अधिकारी/कर्मचारी	
	द्वारा किए गए हिंदी कार्य का	
	मूल्यांकन कर उसे बोनस अंक	
	प्रदान करें।	

(डॉ. बिपिन बिहारी)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, नीति आयोग, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय, लोकसभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, भारत के उच्चतम न्यायालय के महारजिस्ट्रार के कार्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत के विधि आयोग तथा बार कॉऊंसिल ऑफ इंडिया आदि को भेजी जाए।

इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाए।

्डॉ. बिपिन बिहारी) संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद(हरियाणा)

दिनांक: 6 दिसम्बर, 2017

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । उनसे यह भी अनुरोध है कि वे इस संकल्प को अपने संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि को भी सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु भिजवा दें।

- 2. भारत के सभी राज्य सरकार तथा संघ शासित क्षेत्र।
- 3. राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
- 4. उपराष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
- 5. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
- 6. प्रधानमंत्री कार्यालय, साडथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
- 7. भारत के उच्चतम न्यायालय के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, नई दिल्ली।
- 8. नीति आयोग, नई दिल्ली।
- 9. बार कॉउसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली।
- 10.विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली। उनसे यह भी अनुरोध है कि वे इस संकल्प को देश के सभी विश्वविद्यालयों को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु भिजवा दें
- 11.संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
- 12.भारत के निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
- 13.भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली।
- 14. बैंकिंग प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, जीवनदीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
- 15. सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उद्योग मंत्रालय, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली।
- 16.भारत का विधि आयोग, नई दिल्ली।
- 17. निदेशक, जन संपर्क (गृह), प्रेस सूचना का कार्यालय, नई दिल्ली।
- 18.संसद का पुस्तकालय, संसद भवन, नई दिल्ली।
- 19.संयुक्त निदेशक(पत्रिका), गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग।
- 20. निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो तथा इसके अनुवाद प्रशिक्षण केंद्र।
- 21. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान तथा इसके उप-केंद्र तथा हिंदी शिक्षण योजना के कार्यालय।
- 22. संसदीय राजभाषा समिति, 11, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली।
- 23.केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, एक्स-वाई 68, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली।
- 24.संयुक्त निदेशक (राजभाषा), गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी-2 भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली।
- 25.राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग।

-ere

(डॉ. बिपिन बिहारी) संयुक्त सचिव, भारत सरकार